199

आयोजनागत

संख्या– 5684 /III (2)/11–06(बजट)/2011टी0सी0–1

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

,सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 25 नवम्बर, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 1353/04 बजट (एस0सी0एस0पी0–चालू कार्य)/2011–12 दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0:– 2171/III(2)/11–06(बजट)/2011 दिनांक 29–04–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में एस0सी0एस0पी0–चालू कार्य की मद में संलग्न विवरणानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **₹ 2600.00 लाख (₹ छब्बीस करोड़ मात्र) की धनराशि,** व्यय हेतु, आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल, निम्न शर्तों के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर –116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(ii) आयोजनागत पक्ष की उक्त योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी । विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

(iii)– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग– I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

महिमा

(iv)– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा E-Tendering के सम्बन्ध में लोक निर्माण अनुभाग–3 के शासनादेश संः– 252/III(3)/2011 –901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06 जून, 2011 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(v)– उत्तराखण्ड में लागू समस्त प्रोक्योरमेंट रुल्स के अधीन ही समस्त प्रकियाये पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शैड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(vi)– साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(vii)– साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जायें एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर–17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii)– जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखा शीर्षकों एवं प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

(3)– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–666/XXVII(2)/2011 दिनांकः 23 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव।

संख्या– 5684 (1)/III(2)/11–06(बजट)/2011 टी0सी0–1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त, गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा विभागाध्यक्ष)।
5– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
7– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तराखण्ड देहरादून।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0– 5684 / III–(2)/11–06(बजट)/2011 टी0सी0–1 दिनांक 25 नवम्बर, 2011

का संलग्नक

अनुदान सं0–30 लेखाषीर्शक–5054 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0.	मद/योजना का नाम /उपमद		वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल बजट प्राविधान	पूर्व अवमुक्त की गई धनराशि	अब अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2		3	4	5
1.	एस0सी0एस0पी0– चालू कार्य	5054– सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 800– अन्य व्यय 02– अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 01– चालू निर्माण कार्य 24– वृहत् निर्माण कार्य	5200.00	**2600.00**	**2600.00**
		योगः–	5200.00	**2600.00**	**2600.00**

(₹ छब्बीस करोड़ मात्र)

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव।